

सीबीआई पर सवाल

सीबीआई को सूचना अधिकार के अंतर्गत लाने की मांग को केंद्रीय हुकूमत ने तसलीम करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। आई की संपूर्ण कार्य प्रणाली को कानूनी गारंटी बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। 1500 करोड़ के बॉफोर्स तोप खरीद में केस के मुख्य मुलजिम ऑटोवियो को सीबीआई ने जिस तरह से भारत से निकालने का मौका फराहम किया और केंद्रीय इशारे पर जिस तरह से सीबीआई निरंतर जांच में डांस करती रही, इसके बाद से तो आई की कानूनी निष्पक्षता पर से भरोसा उठाने के शिकंजे से निकल कर 2 जी केस में सुप्रीम कोर्ट के सीधे निर्देशन में आई ने बहुत कुछ कर दिखाया। प्रायः ताकतवर राजनेताओं पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कानून का शिकंजा कसने में ही सीबीआई के मूल चरित्र पर सवालिया लगे रहे। कुल मिलाकर जो छवि अभी सीबीआई की निर्मित हुई, वह एक नाकारा छवि है, जो कि संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत नूतन कानून की धाराओं से संचालित न होकर, शाकाओं के हुक्म पर गुलाम की तरह चलती रही। विश्व पटल पर भारत जैसे गठित प्रगतिशील गणतंत्र के लिए यह स्थिति खतरनाक है। किसी ठहरे हुए से समाज के लिए जांच एजेंसी सीबीआई गुलाम चरित्र मुनासिब हो सकता है, किंतु प्रगतिशील गणतंत्रिक राजनीतिक-सामाजिक के लिए ऐसे गुलाम चरित्र को अपराध की नज़र में राष्ट्रीय कलंक की तरह कायम है। आई को पूर्ण कानूनी स्वायत्ता (ऑटोनोमी) प्रदान की जाए बिना, उसके गुलाम चरित्र से निजात कदाचित् मुमकिन नहीं।

सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई गुलाम चरित्र दीर्घ काल से सार्वजनिक मुद्दा बना रहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से मूलतः प्रांतीय सरकार की है, किंतु जब कानून-व्यवस्था के हालात प्रांतीय सरकार के नियंत्रण से बाहर होकर बेकाबू हो जाए, केंद्र सरकार को कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल

परत-दर-परत

प्रभात कुमार रॉय



लेने का प्रावधान भारतीय संविधान ने किया है। दिल्ली जैसे प्रांतों में जो संघीय क्षेत्र के तहत आते हैं और जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, इन सभी में कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व केंद्रीय हुकूमत का है। कानून-व्यवस्था का अहम पहलू रहे अपराधों पर सख्त नियंत्रण करना हुकूमत का उत्तरदायित्व रहा है। किसी भी महत्वपूर्ण जटिल अपराध की जांच पड़ताल में जब प्रांतीय सरकार अपनी पुलिस एजेंसी को अक्षम समझती है, तो केंद्र सरकार से मामले की जांच पड़ताल सीबीआई से कराने का आग्रह करती है। भारतीय राजनीति के शनैः शनैः अपराधीकरण के पश्चात यह बेहद आवश्यक हो गया है कि सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज हुए अपराधियों के प्रभुत्व से पुलिस-प्रशासन को मुक्त कराया जाए, ताकि सत्तानशीन अपराधियों का मुकम्मल सफाया किया जा सके। ताकतवर जांच एजेंसी सीबीआई को संवैधानिक और कानूनी स्वायत्ता प्रदान करने के लिए जबरदस्त जनमत का सृजन किया जाए।

क्रिमिनल जस्टिस को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में यथाशीघ्र सार्थक कदम उठाने की बेहद जरूरत है। कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्मित जस्टिस वी एस मॉलिमथ कमेटी ने कहा कि देश में एक तरफ संगठित माफिया गिरोहों के भयावह अपराधों में इजाफा होता रहा और दूसरी ओर सफेदपोश अपराध भी तीव्र गति से बढ़ते रहे। इन अपराधों को काबू में करने के

केंद्र सरकार की प्रमुख जांच
एजेंसी सीबीआई का संपूर्ण
गुलाम चरित्र लंबे समय से
सार्वजनिक बहस का मुद्दा
बना रहा

लिए जस्टिस मॉलिमथ कमेटी ने अनुशंसाएं केंद्रीय हुकूमत के समक्ष पेश की हैं। एक अनुशंसा सीबीआई को ऑटोनोमी प्रदान करती है, ताकि सीबीआई किसी भी सफेदपोश अपराध से मुक्त होकर सफेदपोश बड़े राजनेताओं, बड़े ओहदेदार अफसरों और कॉर्पोरेट्स के अपराधों का अंजाम दिए जाने वाले घोटालों और स्वेच्छा जांच-पड़ताल से खोफ होकर निष्पक्ष रह सके। जस्टिस मॉलिमथ कमेटी ने क्रिमिनल जस्टिस को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए संगीन अपराधों की जांच-पड़ताल और त्वरित न्याय के लिए कदम उठाने की अनुशंसा भी की। केंद्रीय जस्टिस मॉलिमथ कमेटी की रिपोर्टें सफेदपोश अपराधों में डाल दिया। केंद्रीय हुकूमत को और कमेटीयों की सिफारिशों पर अमल अंजाम देना ही नहीं होता तो आखिर उन अपराधों का करोड़ों रुपये क्यों खर्च किया जाता है।

सफेदपोश अपराधियों की जांच-पड़ताल लीपापोती चलती रहे और कमजोर अदालत में पेश होते रहे और सफेदपोश अपराधी बाइज्जत बरी होते रहें, अतः सीबीआई कमजोर और गुलाम बनाए रखो। यस सामंती चरित्र के कथित जनतांत्रिक राजनेताओं की बनी रही। इससे कहीं कोई पड़ता कि ये सत्तानशीन राजनेता किस पक्ष के सफेदपोश अपराधियों पर कड़ा नियंत्रण न लगाएँ अंग्रेज कतई नहीं चाहते। सीबीआई राजनेताओं की गुलामी से आजाद करने उनके लिए अपने ही हाथों से फांसी का घंटा गढ़न में डालना होगा। ताकतवर लोकपाल के गठन का प्रश्न हो अथवा ताकतवर सीबीआई सृजन का सवाल हो, केंद्र में सामंती सत्तानशीन राजनेताओं से राष्ट्र को कदाचित् नहीं रखनी चाहिए। अब तो यह देश का जनमानस ही करेगा कि राष्ट्र के माफिया गिरोहों और सफेदपोश संगीन अपराधों का किस तरह सफाया किया जाए? जागरूक समझदारी के साथ अपने गणतंत्रिक मतांश का उपयोग करके भारतीय जनमानस भ्रष्ट अपराधी राजनेताओं का पता साफ करेगा तभी राष्ट्र की तकदीर संवर सकती है।

मोबाइल: 09319